A-21
Ti-95/23

नीतू बनाम आरपी सिंह

8/8/23 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी द्वारा आदेश 01 R10 सहित धारा 151 CPC अधीन प्रकरण संबंधित किये जाने हेतु पेश किया गया। शपथ पत्र पत्रावली वास्ते तलब अन्यथा 01R10 उक्त आदेश तामील हेतु दिनांक 11/8/23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

11/08/23

नीतू
identify
[illegible]

11/8/23 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थिया/प्रार्थिया का मूलवाद पिट्टा के खारिज किया जाने का शपथ पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मूलवाद का ही भाग है। मूलवाद खारिज होने पर शपथ अस्थायी निषेधाज्ञा को मुकदमे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः मूलवाद के मद्देनजर में प्रार्थिया/वादिया का शपथ अस्थायी निषेधाज्ञा पिट्टा के खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय अनुसार होकर उभय पक्ष के रूप होकर डाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11/8/23 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner